

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 12/2022

संदीप कुमार मीना पुत्र श्योजीराम मीना जाति मीना निवासी कोटापट्टी तहसील लवाण जिला
दौसा



..अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण जिला दौसा
2. भौरी देवी बेवा श्योजीराम मीना जाति मीना निवासी कोटापट्टी तहसील लवाण जिला दौसा
..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 03 विरासत दिनांक 07.06.1989
द्वारा तस्दीक तहसीलदार

उपस्थित—1.श्री मनीष कुमार शर्मा(तिवाडी), अधिवक्ता अपीलांट की ओर से

2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांक: 19.02.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 07.06.1989 को ग्राम कोटापट्टी का नामान्तरण सं0 03 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि अपीलांट को जैर नामान्तरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अब अपीलांट बालिग होने पर अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो गलत नाम की जानकारी होने पर अपीलांट ने दिनांक 11.3.2022 को उक्त नामा0 तलाश कर नकल का प्रा0पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 14.3.2022 को प्राप्त हुई। इसलिए जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलांट को जानकारी होने के पश्चात मियाद बाहर अपील पेश की गई है। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम कोटापट्टी तहसील लवाण में आराजी खसरा नंबर 139, 166, 180, 492 से 493, 525, 570 से 571, 639 से 640 कुल कित्ता 10 रकबा 1.75 है0 स्थित है जिसकी खातेदारी साबिक में श्योजी पुत्र नाथू के नाम दर्ज थी। श्योजी पुत्र नाथू का स्वर्गवास हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरण सं0 03 को उसकी बेवा भौरी व रामावतार पुत्र श्योजी नाबालिग के नाम खोला गया। जिसको तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 07.06.1989 को तस्दीक किया गया। अपीलांट वक्त नामान्तरण

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

नाबालिग था तथा अपीलांट की माता भौरी देवी एक देहाती अनपढ महिला थी। अपीलांट का वास्तविक नाम संदीप कुमार मीना है तथा रामावतार अपीलांट का लाड प्यार का नाम था। अपीलांट का नाम सहवन से नामान्तरण में रामावतार जो कि लाड प्यार का नाम था वह पटवारी हल्का ने अंकित कर दिया। जबकि नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट की माता से कोई जानकारी नहीं की गई। अपीलांट का विभिन्न दस्तावेजों यथा पहचान पत्र, बोर्ड की मार्क शीट, जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में संदीप कुमार मीना पुत्र श्योजीराम मीना दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट का सही नाम संदीप कुमार मीना ही है। उक्त गलती सहवन से हुई है। उक्त नामान्तरण की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अब अपीलांट बालिग होने पर अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर नाम गलत होने की जानकारी दिनांक 14.3.2022 को हुई। तहसीलदार दौसा के द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 07.06.1989 विरुद्ध कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय की कार्यवाही न तो मजमें आम में की गई और ना ही अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिया और ना ही वास्तविक नाम के संबंध में कोई जांच की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण खारिज फरमाया जाकर तहसीलदार को नामान्तरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जावे कि अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर अपीलांट के वास्तविक नाम की विधिवत जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करे।

4. रेषों0 सं0 01 ने न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के पति श्योजी पुत्र नाथू के स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरण नायब तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गया है उसमें सहवन से अपने पुत्र संदीप कुमार मीना के स्थान पर रामावतार अंकित कर दिया गया जिसे दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

5. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण में सहवन से अपीलांट का नाम संदीप कुमार मीना के स्थान पर रामावतार दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामान्तरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के नाम के हद तक ही है, तो तहसीलदार लवाण को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

6. अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस एवं रेषों0 सं0 1 के कथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 07.06.1989 को ग्राम कोटापट्टी का नामान्तरण सं0 03 विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में श्योजी पुत्र नाथू के फौत होने पर श्योजी की विरासत रामावतार पुत्र श्योजी, भौरी बेवा श्योजी के नाम नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जाँच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जाँच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 07.06.1989 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट रामावतार के स्थान पर संदीप कुमार मीना दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट के हक में नामान्तरण संख्या 03 दिनांक 07.06.1989 वाके ग्राम कोटापट्टी को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट का नाम संदीप कुमार मीना के स्थान पर रामावतार गलत दर्ज कर दिया गया है। अपील के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों में अपीलांट

निरंतर 3 पर



का सही व वास्तविक नाम संदीप कुमार है ना कि रामावतार। अपीलांट मृतक श्योजी का कानूनी वारिस है। अपीलांट संदीप कुमार मीना द्वारा अपील के संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट का नाम संदीप कुमार मीना पुत्र श्योजीराम मीना अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 03 वाके ग्राम कोटापट्टी पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.1989 को अपीलांट के नाम रामावतार की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार लवाण को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 19 फरवरी, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

